न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 32 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रामचन्द्र पुत्र भैराराम
2. भगवानाराम पुत्र भैराराम
3. दलूदेवी पत्नी भगवानाराम
4. देवू पत्नी अलसाराम जाति जाट निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.धर्मराज पुत्र रिगरथाराम
2.हीराराम पुत्र केसाराम जाति सुथार निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा सेड़वा जिला बाड़मेर
4.तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107 / 2019 बअनवान धर्मराज वगै. बनाम रामचन्द्र वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.01.2022।

उपस्थित

1. वकील श्री राजेश विशनोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केसाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम के तहत मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 317 / 156 रकबा 30 बीघा व खसरा संख्या 415 / 156 रकबा 30 बीघा भूमि मौजा नवातला बाखासर पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर तहसील सेड़वा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 151, 310 / 315 मोजा नवातला बाखासर प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्त प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलांटगण की खातेदारी के दो टुकड़े करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया।राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 में भी किया गया है जो इस प्रकार से है:–1.आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं 2. किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2019 बअनवान धर्मराज वगै. बनाम रामचन्द्र वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.01.2022 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि यथासंभव खसरों के टुकड़े नहीं करते हुए निकटतम रास्ता दिये जाने हेतु उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर बाद समुचित सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर